

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
/ एस0ई0(एच0क्यू0) / ए-168
कार्यालय आदेश

संख्या

दिनांक

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद्द सं0-232/50 पर प्रदत्त अनुमोदन के काम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क0सं0 परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रु0 करोड मे)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	095091 अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के सेक्टर-8 में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणीकेनिम्नलिखित सुविधिते आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य - अ-समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत - 1-1बी0एच0के0(ई.डब्लू.एस.) - 768 नग 2-1बी0एच0के0(एल.आई.जी.-ए) - 576 नग 3-2बी0एच0के0(एल.आई.जी.-बी) - 624 नग योग-1968 नग ब-स्व-वित्त पोषित योजना-2015 के अन्तर्गत - 1-2बी0एच0के0+स्टोर(एम.आई.जी.)- 240 नग 2-3बी0एच0के0+स्टोर(एच.आई.जी.)- 96 नग योग- 336 नग कुल योग-2304 नग	374.25 करोड	29/91

- उक्त कार्य परिषद द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्रश्नगत भवनों का निर्माण एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कराया जाय।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त 2वर्ष 6माह में आवश्यक पूर्ण कर लिया जाय।
- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)


क्र.सं. 1459 / उपर / ए-168

दिनांक 14.4.2018

प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. मुख्य वारतुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/मुख्यालय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(मु०)/निर्माण खण्ड-10, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

29/3

5

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

/ एस0ई0(एच0क्यू0 / 207
कार्यालय आदेश

दिनांक 11-01-17

परिषद की 240 वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 के मद संख्या-240/31 पर परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क0सं0 परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु0 करोड में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	095144 अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-8 में गोमती इन्कलैव के अन्तर्गत प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के 1536नग एवं स्व-वित्त पोषित योजना के 448 नग कुल 1984 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्य।	82.67 करोड	29/145(16-17)

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- प्रश्नगत कार्य हेतु वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति सक्षम स्तर से अलग से प्राप्त करनी होगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि0अभि0/अधी0अभि0 का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त परियोजना को 02 वर्ष 06 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित बजट में अवश्य प्राविधान कर लिया जाय।
- प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रि0)

पृ0सं0: 0053 / उक्त / 207

दिनांक: 04-1-2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ0आ0आ0 एवं सचिव/मुख्य अभि0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/मुख्यालय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड-15, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रि0)